>

Title: The Minister of Home Affairs made a statement in response to the matter of public importance raised by the members on 3rd March, 2008 regarding incidents of violence against North Indians in Mumbai and other parts of the Country.

गृह मंत्री (श्री शिवराज वि. पाटील) : श्रीमन्, मुम्बई में जो हुआ, कल उसके संबंध में यहां पर सम्माननीय सदस्यों ने वक्तव्य दिये और चिंता तथा अपनी भावनाएं व्यक्त कीं, उसके संबंध में सरकार की प्रतिक्रिया देने के लिए मुझे कहा गया है और उसके लिए मैं यहां पर खड़ा हूं, उपस्थित हूं।

मेरी एक ही इच्छा और प्रार्थना होगी कि जो कुछ मुझे कहना है उसे पूरी तरह से कहने दिया जाए। उसके बाद उसमें अगर कुछ नुक्स नजर आते हैं तो प्रश्न पूछे जाएं, जिनका स्पष्टीकरण किया जा सकता है। कल के जो प्रश्न हैं उनमें माननीय देवेन्द्र प्रसाद यादव जी ने और दूसरे सदस्यों ने मुद्दे उठाए थे और उनके संबंध में मैं अपना रैस्पोन्स, अपनी प्रतिक्रिया दे रहा हूं। ...(व्यवधान)

MR. SPEAKER: The hon. Minister made an appeal just now and you violated it immediately.

श्री शिवराज वि. पाटील : श्रीमन्, कल के वक्तव्यों में सदस्यों ने कहा है कि मुम्बई हमारे देश की आर्थिक राजधानी है। मुम्बई को बनाने में हमारे देश के सारे लोगों ने हाथ बंटाया है तथा मुम्बई की अपनी एक गरिमा रही है। मुम्बई सारे देश की है और देश के लोगों को वहां जाने, रहने और काम करने का संवैधानिक अधिकार है। केवल मुम्बई ही नहीं, देश के किसी भी शहर में जाने और रहने का अधिकार सारे भारतवासियों को है। देश के किसी दूसरे शहर में भी, किसी भी भारतवासी को आने-जाने से रोका नहीं जा सकता है, टोका नहीं जा सकता है, काम करने के लिए उनके ऊपर कोई प्रतिबंध लगाया नहीं जा सकता है। यह बात हमारे संविधान में लिखी हुई है और यह बात हमारे सांस्कृतिक दृष्टिकोण का भी एक हिस्सा है। हमारा देश सारे संसार को एक कुटुम्ब मानता है।[r3]

ऐसे देश में एक जगह के लोगों को दूसरी जगह, दूसरे शहर में जाकर रहने से रोका नहीं जा सकता है। यही बात इसी सदन में सभी सदस्यों ने कही है और यही बात सरकार की ओर से भी कही गई है तथा मैंने भी यही बात कही है। हमारे नेता और हमारी सरकार यही बात कहती है। महाराष्ट्र की सरकार और वहां जो काम करने वाले हमारे साथी हैं, वे भी यही बात कहते हैं और उनको उसी तरीके से वहां की सरकार चलानी पड़ेगी। अगर उसमें कोई गलती या फर्क आ जाए, तो हमारा यह दायित्व बन जाता है कि उनको इस बारे में बताएं, जिससे कि वे ऐसा न करें और कानूनी तरीके से जो भी जरूरी हैं, वे इस बारे में कदम उठाएं।

बहुत खुशी की बात है कि महाराष्ट्र में कुछ लोगों ने जो वक्तव्य दिया था और उसकी वजह से वहां एक बवंडर तैयार हुआ था, उसे महाराष्ट्र के लोगों ने समर्थन नहीं दिया, महाराष्ट्र सरकार ने समर्थन नहीं दिया, देश के लोगों ने समर्थन नहीं दिया। हम लोगों ने यहां इस बारे में जो चिंता व्यक्त की कि देश की एकता के लिए ऐसा नहीं होना चाहिए, यह बहुत ही अच्छी बात है और ऐसे विचार प्रकट करने वाले सभी साथियों को मैं अपनी ओर से भी बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने देश की भलाई को ध्यान में रखकर यह बात कही।

श्रीमन्, एक बात और भी यहां कही गई कि मुम्बई से बहुत से लोग, जो दूसरे प्रांतों से आए थे, वे पलायन कर गए हैं। कुछ सदस्यों ने कहा कि 20-25 हजार लोगों की संख्या थी, कुछ सदस्यों ने कहा कि 40-50 हजार लोगों की संख्या थी और कुछ लोगों ने कहा कि करीब एक लाख लोगों की संख्या थी, जो मुम्बई से पलायन कर गए हैं। मैं आंकड़ों के बारे में कुछ नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि वे 20-25 हजार की संख्या हो या इससे ज्यादा की संख्या हो, एक भी आदमी इस कारण अगर मुम्बई से बाहर जाता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, यह हमारा दृष्टिकोण है। अगर एक भी आदमी को वहां से पलायन करने की परिस्थिति वहां पैदा हुई है और हम उसे काबू नहीं कर सके, तो उसकी जवाबदेही हमारी हो जाती है, प्रांत की होती है और देश की होती है। आंकड़ों के ऊपर मैं झगड़ा नहीं करना चाहता हूं। जो भी आंकड़े हों, मगर एक भी आदमी का पलायन नहीं होना चाहिए, ऐसा हमारा मानना है। सिर्फ इतनी बात मैं कहना चाहता हूं कि जब बढ़ा-चढ़ा कर आंकड़े हमारे सामने आते हैं, तो हमें लगता है कि उसका असर दूसरे प्रांतों में हो सकता है, इसलिए थोड़ी सी सावधानी बरतनी होगी। मगर इस संबंध में भी मैं बहुत नम्रता से कहना चाहूंगा कि महाराष्ट्र सरकार की, महाराष्ट्र की जनता की और केन्द्र सरकार तथा देश की जनता की यह नीति रहेगी कि किसी को भी, कहीं से भी पलायन करने की जरूरत न हो।

यहां तीसरा सवाल कार्यवाही के संबंध में उठाया गया है। कुछ भाइयों ने कहा कि मकोका कानून वहां लागू करना चाहिए। मैं बताना चाहता हूं कि महाराष्ट्र सरकार ने हमें बताया है कि मकोका कानून वहां लागू किया गया। जो बात आपने यहां कही, वह दुरुस्त थी, वह पहले ही कर दी गई है। इसके बाद वहां क्या कार्यवाही की गई, इस बारे में कुछ प्रश्न भी उठाए गए। मुझे महाराष्ट्र सरकार की तरफ से इस प्रकार से बताया गया है कि करीब-करीब 300 से ज्यादा केसिस वहां दाखिल किए गए। उन्होंने कहा है कि इन केसिस में डेढ़ हजार लोगों पर कार्यवाही की गई। सब्सटेंटिव आफेंसेज के लिए उसके तहत कार्यवाही की गई है। जब ये हादसे हो रहे थे, उस समय 5 हजार लोगों पर प्रिवेंटिव एक्शन लिया गया।[R4]

यह आंकड़े कम हैं, ज्यादा हैं, मैं नहीं बोलूंगा, जो करना जरूरी है, वह करना होगा और जो भी उसमें दखल दे रहा है, उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। कानून को बचाने के लिए, प्रान्त की एकता को बचाने के लिए, देश की गरिमा को बचाने के लिए हमें काम करना होगा, यही हमारा दृष्टिकोण है। उन्होंने जो मालूमात हमें दिए हैं, मैं उसे आपके सामने रखना चाहता हूं। आगे चल कर मैं बताना चाहता हूं कि इससे भी ज्यादा इस संबंध में जो करना जरूरी है, महाराष्ट्र सरकार ने कहा है कि वह उसे करेंगे। अगर वह नहीं करेंगे तो हम उन्हें बताएंगे, बताएंगे ही नहीं लेकिन देखेंगे कि वह कैसी कार्रवाई कर रहे हैं? हम देश के किसी भी व्यक्ति को ऐसा काम करने का अधिकार नहीं देंगे।

कहा गया कि कुछ त्योहारों में कोई आ नहीं सकता, जा नहीं सकता। हमारे देश के सारे त्योहार बड़े विचारों के साथ बने हैं। कोई सूरज की प्रार्थना करता है, कोई समुद्र की प्रार्थना करता है और कोई भूमि की प्रार्थना करता है। यह बड़े-बड़े विचारों की प्रार्थनाएं हैं। ये त्योहार कहीं भी मनाए जा सकते हैं। मुम्बई में बनाए जाएंगे, महाराष्ट्र के किसी स्थान पर मनाये जाएंगे और देश के किसी भी हिस्से में मनाए जाएंगे, इसमें कोई रुकावट नहीं डाल सकता है। महाराष्ट्र सरकार ने मुझे लिख कर बताया है कि उनकी तरफ से कोई रोक-टोक नहीं की गई है और अगर कोई रुकावट डाली गई तो उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे।

श्रीमन्, एक बात जो हमारे साथियों ने यहां उठायी थी, वह किशन सिंह के बारे में थी। कहा गया कि उनके दो हाथ काटे गए हैं। उन्होंने एक समाचार पत्र सामने रख कर उनका फोटो भी दिखाया है। ऐसा एक अखबार में भी समाचार आया है। मैंने इसके बारे में वहां से जानकारी लेने की कोशिश की है। पहले उन्होंने हमें टेलीफोन से बताया था कि ऐसा कोई हादसा होने की जानकारी किसी भी पुलिस स्टेशन में नहीं है, यहां तक कि पुणे के पुलिस स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट पुणे के पुलिस स्टेशन या दूसरी किसी जगह में भी नहीं है। उन्होंने लिखित रूप से हमें बताया है कि उन्हें इसकी कोई जानकारी नहीं है लेकिन जो लिखा गया है, उसे देखना जरूरी है। मैं समझता हूं कि इसकी गहराई में जाकर पूरी तरह से जांच करना जरूरी है। हम महाराष्ट्र सरकार को बताएंगे कि वह अपनी पुलिस सीवान में भेजे और जो अस्पताल में हैं, उनका जवाब रिकॉर्ड करे, वह केवल लिखित रूप में उनका जवाब रिकॉर्ड न करे बल्कि वीडियो रिकॉर्डिंग करे ताकि वह बात पूरी तरह से आए और मालूम हो जाए को वह बात सही है। ऐसे में जो कार्रवाई करनी जरूरी है, वह की जाएगी। अगर दूसरी कोई बात होगी, वह भी सामने आ जाएगी और सही काम हो सकेगा। हम महाराष्ट्र सरकार को कहने जा रहे हैं कि इस प्रकार से कार्रवाई करे। कार्रवाई करने के बाद मैं अपने साथी को, अगर वह लिखित रूप में चाहें तो जानकारी दे दूंगा। इसके आगे कुछ और बोलना आवश्यक नहीं लगता है। जिस भावना से यह बात यहां उठायी गई है और जिस गरिमा से और अच्छे ढंग से उठायी गई है, कुछ गलतफहमियां इधर-उधर की होती हैं, उसे छोड़ देंगे लेकिन जो भी बातें उठायी गई हैं, वे अच्छी हैं और देश की एकता के लिए अच्छी हैं। इस प्रकार से इस विषय पर चर्चा करना देश के हित में, महाराष्ट्र के हित में और हम सब के हित में है। ...(व्यवधान)

MR. SPEAKER: He said that it is applicable anywhere.

...(*Interruptions*)

अध्यक्ष महोदयः आपकी बात हो गई है। आपने कल इस विषय को उठाया है। अब इसके ऊपर और बहस करने की जरूरत नहीं है। कुछ महत्वपूर्ण और अरजैंट मैटर्स बाकी हैं।

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन (भागलपुर): जो वहां से चले गए हैं, उनके रोजगार का क्या होगा? ...(व्यवधान) हमें उनके बारे में चिन्ता करनी चाहिए।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः वह उसे देखेंगे।

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार) : कितने लोग निरुद्ध किए गए और अगर कार्रवाई की गई है तो कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है? ...(व्यवधान)

MR. SPEAKER: He cannot reply for the State Government. This is the problem. You are asking for particulars of State Administration. How can any hon. Home Minister in Delhi immediately reply?

...(*Interruptions*)

अध्यक्ष महोदयः आपने रिक्वैस्ट की और मिनिस्टर साहब ने उसे सुन लिया है।

â€¦(व्यवधान)

(Placed in Library, See No. LT 8154/2008)

â€¦(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : रघुराज सिंह शाक्य, आप अपना मैटर बोलिए।

â€¦(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप मेहरबानी करके बैठ जाइए। मिनस्टर साहब ने बोला है अगर आपको कुछ अलग से कहना है तो लिख कर भेज दीजिए।

â€¦(व्यवधान)

श्री इलियास आज़मी (शाहाबाद) : महाराष्ट्र सरकार की कार्यवाही से भारत सरकार संतुष्ट है या नहीं?

अध्यक्ष महोदय : हम आपको एलाऊ नहीं करते हैं।

â€¦(व्यवधान)

MR. SPEAKER: Nothing will be recorded.

(Interruptions) â€¦*

MR. SPEAKER: No meetings will be allowed in the House. ये हाउस में क्या हो रहा है? आप बाहर लॉबी में चले जाइए।

â€¦(व्यवधान)